आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 202/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

कोटेक महिन्द्र बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड पता 27 बी के सी.सी 27 जी ब्लॉक बांद्रा कूर्ला कॉम्पलेक्स बांद्राईस्ट मुम्बई 400051 महाराष्ट्र,शाखा कार्यलय शाखा कार्यलय प्रथम तल 232-233, एसडीसी टावर निचर आम्रपाली सर्किल हनुमान नगर जयपुर

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. सोहन चौधरी पुत्र श्री श्रवण लाल चौधरी पता- बी-87, किशोर नगर, मुरलीपुरा, जयपुर
2. श्रवण लाल चौधरी पुत्र श्री भैरु राम जाट
3. गोपी देवी पत्नी श्रीश्रवण लाल चौधरी
4. देवको इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर
   पता- बेरावाली ढाणी, महापुरा, सांगानेर, जयपुर
   एवं प्लाट नम्बर 1 से 10, बेराला हाउस, बालाजी विहार, ग्राम महापुरा से सेज रोड, महापुरा, अजमेर रोड, जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री प्रमोद कुमार अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 11.06.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि फुलर्टन इण्डिया होम फाईनेंश कम्पनी लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.08.2019 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री सोहन चौधरी के के स्वामित्त्व की सम्पत्ति (1) प्लाट नम्बर-1, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 178.61 वर्ग गज (2) प्लाट नम्बर-2, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 218.70 वर्ग गज (3) प्लाट नम्बर-3, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 256.61 वर्ग गज (4) प्लाट नम्बर-4, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 159.68 वर्ग गज (5) प्लाट नम्बर-7, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 375.18 वर्ग गज (6) प्लाट नम्बर-8, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 405.23 वर्ग गज (7) प्लाट नम्बर-9, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग गज (8) प्लाट नम्बर-10, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 204.99 वर्ग गज व अप्रार्थी श्री श्रवण लाल चौधरी के स्वामित्व की सम्पत्ति (1) प्लाट नम्बर-5, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 1034.35

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

वर्ग गज (2) प्लाट नम्बर–6, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 1324.75 वर्ग गज को बन्धक रख कर 1,01,61,734/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी जिसे कि फुलर्टन इण्डिया होम फाईनेंश कम्पनी लिमिटेड को ऋण अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार प्रार्थी बैंक को असाईन कर दिया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.09.2023 को रजिस्टर्ड/कोरियर से नोटिस जारी किये व दो अखबारों में भी साया करवाया गया व सम्पत्ति पर चस्पा भी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय कम्पनी ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवष्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 1,01,61,734/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 1,43,56,747/– रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 20.09.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है एवं अखबार में भी साया करवाया गया है तथा सम्पत्ति पर चस्पा भी किया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत कम्पनी बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में अप्रार्थी अप्रार्थी श्री सोहन चौधरी के के स्वामित्त्व की सम्पत्ति (1) प्लाट नम्बर–1, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 178.61 वर्ग गज (2) प्लाट नम्बर–2, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 218.70 वर्ग गज (3) प्लाट नम्बर–3, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 256.61 वर्ग गज (4) प्लाट नम्बर–4, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 159.68 वर्ग गज (5) प्लाट नम्बर–7, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 375.18 वर्ग गज (6) प्लाट नम्बर–8, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 405.23 वर्ग गज (7) प्लाट नम्बर–9, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग गज (8) प्लाट नम्बर–10, बालाजी विहार, महापुरा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 204.99 वर्ग गज व अप्रार्थी श्री श्रवण लाल चौधारी के स्वामित्व की सम्पत्ति (1) प्लाट

जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

सेक्टर-4, शास्त्री विहार, मानपुरा, जयपुर मूल [illegible] की [illegible] (4) [illegible] सेक्टर-4, शास्त्री विहार, मानपुरा, जयपुर मूल [illegible] की [illegible] का [illegible] से [illegible] अभियुक्त द्वारा अर्जित संबंधित पुलिस थाना [illegible] किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5 आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर / पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त संपत्ति का [illegible] प्राप्त करने के [illegible] की कार्यवाही हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति [illegible] जारी की। पत्रावली [illegible] के बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.[illegible].2024 को मेरे हस्ताक्षर [illegible] किया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर